

658

**बिहार स्टेट माइनिस्ट्रीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि० पटना**

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाटिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(Email=minocorporatna@gmail.com, website:www.bsmtc.org)

संख्या: 2891 बी.एस.एम.एफ.सी./

पटना, दिनांक: -----

**स्वीकृतपत्र**

रज्य सम्पन्नित मूख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोगार रूण योजनांतर्गत वयन संपन्न से दिनांक-12.03.2015 को कटिहर जिला के वयनित अल्पसंख्यकों के द्वारा सम्पन्नित रूटिडीन कागजात के आधार पर निम्नलिखित कुल 01 लाभिक को उनके नाम के सामने अंकित डेड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्यावे गुण रूण को स्वीकृति दी जाती है। एवं विधायीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से रूण योशुा भूगतान करने हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में स्वीकृत रूण योशुा में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के प्रस्ताव नीचे शूद्ध योशुा के रूप में दर्यावे गये योशुा सीधे सम्बन्धित लाभिकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने का आदेश दिया जाता है:-

Sl. No.	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Processing Charge Less 0.5%	Payable Amount
1.	Abdur Rahman, S/o-Late Haji Niyamatullah, Vill- Kursail, Block-Mansahi, PS- Mansahi, PO-Mansahi, Distt.-Katihar-854103	A/c No.- 1761101016514	Kirana Shop	100000	500	99500
			Total	100000	500	99500

स्वीकृत रूण योशुा में वर्तित डेड में लाभिकों द्वारा परिसम्पत्तियां/सम्पत्तियों का कथ 30 दिनों के अन्दर में निरिवत रूप से कर लिया जाना है तथा रूण योशुा से सुविधा की गयी परिसम्पत्तियां अथवा कथ की गयी सम्पत्तियों की धार्तिक जांच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रथरी द्वारा प्रतिवेदन सम्पन्नित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत रूण को रूणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान धैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

प्राथमिक निर्देशक  
रू/

संख्या: 2891

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पर्याधिकारी, कटिहर/सभी रूणधारकों/रूण योशुा/रूण योशुा (कटिहर सेल)/लेख योशुा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रथरी को सूचनाएँ एवं अनुपालनार्थ योशुा।

प्राथमिक निर्देशक  
रू/